संख्या- 06 /2022/ 2344 /चार-2021

प्रेषक,

विनय श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ ।

**संस्कृति अनुभाग**: **लखनऊ: दिनांक 07 जनवरी, 2022**

विषय- श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण व श्री काशी धाम यात्रा कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 20-23 दिसम्बर, 2021 तक आयोजित होने वाली प्रदर्शनी हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशक, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय के पत्र संख्या-986/उ0प्र0सं0नि0-5(122)/2021-22 दिनांक 10 दिसम्बर, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 20-23 दिसम्बर, 2021 तक राज्य संग्रहालय लखनऊ द्वारा संग्रहालय में संग्रहीत अमूल्य कलाकृतियों के छायाचित्रों एवं अनुकृतियों से सम्बन्धित ''देश की सांस्कृतिक धरोहर'' विषय पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किये जाने हेतु रू0 3.60 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त रू0 3.60 लाख (रूपये तीन लाख साठ हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) समस्त कार्यो का भौतिक सत्यापन कराकर भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(2) उक्त स्वीकृति धनराशि का आहरण/ उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

3- उक्त धनराशि रू0 3.60 लाख (रूपये तीन लाख साठ हजार मात्र) की चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-107-संग्रहालय-03-अधिष्ठान-42 अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या 06 /2022/2344/(1)/चार-2021, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- आहरण एवं वितरण अधिकारी-सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय लखनऊ ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।